Registered

Request-84

To

The Joint Director of Treasuries,
New Treasury Building
Ist floor, Kutchery Road,
Allahabad

No. 14094/IV-2742-Admn (A) Dated 31-7-96

Subject:- Entitlement of D.A. and pension on formula of ex-defence pensioner to Sri Anirudha Maurya, XVII Addl. Civil Judge (Junior Division) Azamgarh.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of letter No. 502/I dated 23-5-96 alongwith it's enclosures of Sri Anirudha Maurya, Addl Cl Judge, Azamgarh on the above subject, and to request you kindly to send your views and comments in this matter to this court at a very early date so that further necessary action may be taken ~~in the matter~~

Yours faithfully

Joint Registrar

Encl:-
As above

J.R.C.(M),
May issue a copy ~~of~~ ~~petition~~
23-7-96

24-7-96

30/7/96

P.T.O.

No. 14095/IV-2742-Admn (A) Dated 31-7-96

Copy forwarded to the District Judge, Azamgarh, with reference to his endorsement No. 502/I dated 23-5-96 for information and communication to the Officer concerned.

By Order
[illegible]
Joint Registrar

2616 8/7/96 (291)

Regd.

Request-84

(529)

From:

Aniruddha Maurya,
XVII Addl. Civil Judge(J.D.),
Azamgarh.

14391

8/7/96 FILE No. IV/2742
SERIAL No.

16/7/96

To:

The Registrar,
High Court Of Judicature at,
Allahabad.

Through:

The District Judge,
Azamgarh.

No. 502/I Dated 23.5.96

Subject: Withregard to payment of D.A. on the formula of pay + pension in respect of Ex-Defence pensioners who are re-employed on civil posts:

J.R.(M)
May kindly see the instant letter.
Before taking any action in this matter it seems necessary that copy of this letter alongwith its enclosures may be sent to Joint Director treasuries for his comments and views.
If approved, the action may be taken as proposed above? 'A'
19-7-96

Sir,

Respectfully, it is submitted that I have taken over charge as XVII Addl. Civil Judge (J.D.) Azamgarh, on 18.3.96 vide Notification No. 171/DR(S)96 Dated: 14.3.96 issued by the Hon'ble High Court. Before joining this service, I served the Nation being on active service in Indian Air Force since 22.11.74 to 30.11.89. After completing my term of engagement, I have been discharged from I.A.F. on a monthly pension of Rs. 531/- permonth, vide P.P.O.No.08/14/8/1337/1989 (photo-stat copy enclosed). My rank in the I.A.F.was Sergeant(Senior Non-commissioned Officer). The present scale of my post is 2200-4000. As my rank of I.A.F. was a Non-commissioned Officer, my full pension is ignored in pay fixation vide G.O.No.-3-749/Das-91/82 Lucknow: Dated: 18th May, 1983(photo-stat copy enclosed The Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment dated 8.12.94 passed in Civil Appeal No. 3542-46/90, held that denial of payment of D.A.on pension by the Union Of India in cases of Ex-Servicemen who got re-employed is legal and just. The Appex Court was pleased to further hold that decision to reduce enhanced pension is unconstitutional. Thus inview of G.O.No.-3-1272/Das-3-56 Dated: Lucknow, 26th August

(57)

SOAD(A)

J.R.(M)
6/7/96

J.R.(M)
6-7-96

S.K.T.

A.R.
As proposed at 'A'?

Approved as 'A'
20.7

SOAD(A)
J.R.(M)
22/7/96

1977,(vide para 2), I am entitled to payment of D.A. on pay+ pension in the present service i.e. 2200+ 531 = 2731, and this calculation of D.A. on 2731 at the prevailing rate will be added to my pay of2200/-.

In the recent decisions inrespect of Sri K.M. Kazimi, Executive Officer, Vitta Vetan Aayog, and Sri Ram Murti Dwivedi, Addl. Treasury Officer, Mirzapur, vide Letter No. S.E.-3286/Das-95-E-816/4/95, Uttar Pradesh Shashan, Vitta Sewayen, Anubhag-1 Lucknow Dated: 19th September, 1995 and letter No. S-2362/Das-93-87/346/78 Vitta Sewayen Anubhag-3 Lucknow: Dated: 24th September 93, respectively, the payment of D.A. on the formula of pay + pension is being made(photo-stat copies enclosed).

It is therefore, humbly prayed that I may kindly be allowed to draw my salary accordingly on the above noted formula on theground of administrative and financial parity to which I am entitled. It is further prayed that the Joint Director of Treasuries be also directed to comply with these G.Os.

Yours faithfully,

Dated: 16/5/96

Encl: 1 to 6:

(Aniruddha Maurya)
XVII Addl. Civil Judge (J.D.),
Azamgarh.

Copy to

The Joint Director of Treasuries, Kutcheri Road, camp Office-Allahabad, with the request to kindly issue my pay slip in the revised form in the above perspective.

AZAMGARH JUDGESHIP:

No. / I Dated: , 1996.

Forwarded to the Registrar, High Court Of Judicature at, Allahabad, for necessary action as prayed by the Officer concerned.

(Gaya Prasad)
District Judge-Azamgarh.

District Judge
AZAMGARH

संख्या एस-2362/दस-93-8713461/78

Request-84

प्रेषक,

श्री एस०के०अग्रवाल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2, लखनऊ: दिनांक : 24 सितम्बर, 1993

विषय:- सिविल पदों पर पुनर्योजित सैनिक पेंशनरों के वेतन एवं भत्तों की अनुमन्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं० एस-4263/दस-92-8713461/78, दिनांक 26 अप्रैल, 1993 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राममूर्ति द्विवेदी, अपर कोषाधिकारी, मीरजापुर जो एक भूतपूर्व सैनिक हैं, को अपर कोषाधिकारी के सिविल पद पर वेतनमान रुपया-2200-4000 में प्राप्त मूल वेतन तथा मूल सैनिक पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य कराये जाने के प्रकरण पर श्री द्विवेदी द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 23-6-93 पर पुनर्विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कतिपय अन्य समान प्रकरणों में शासन द्वारा पूर्व में अपनाये गये दृष्टिकोण तथा लिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए श्री द्विवेदी को भी उक्त सिविल पद पर प्राप्त मूल वेतन तथा सैनिक पेंशन के योग पर मंहगाई एवम् अन्य भत्ते नियमानुसार अनुमन्य होंगे परन्तु यदि मूल वेतन तथा सैनिक पेंशन की धनराशि का योग सिविल पद के वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो तो वेतनमान के अधिकतम से अधिक धनराशि पर उक्त भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे एवं इसके अतिरिक्त उन्हें उनकी सैनिक पेंशन पर राहत अनुमन्य नहीं होगी।

भवदीय,

ह0-
एस०के०अग्रवाल
संयुक्त सचिव।

=----2पर

संख्या एम-2362।।।/दस-93-87134611/78तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

2- श्री राममूर्ति द्विवेदी, अपर कोषाधिकारी, मीरजापुर।

3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3.

4- जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र पृष्ठांकन सं0 जि0सै0क0/209/12/93-94, ईट इस्टे, दिनांक 16 जून, 1993 के संदर्भ में।

5- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0, सैनिक भवन, कैसरबाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

ह0-

ए0के0अवस्थी

संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-1
संख्या: एस0ई0-3286/दस-95-ई0-816(4)/95
लखनऊ: दिनांक- 19 सितम्बर, 1995

Request - 89

कार्यालय-ज्ञाप

सिविल पदों पर पुर्नयोजित सैनिक पेन्शनरों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-सा-4-1272/दस-3-56, दिनांक 26 अगस्त, 1977 तथा संख्या-सा-3-106/दस-919/86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत श्री के0 एम0 काजिमी, विशेष कार्याधिकारी (नि: संवर्गीय) सिविल पद वेतनमान रू0 2000-3200 में कार्य कर रहे हैं, को उनके वेतन + पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता निम्नानुसार अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) दिनांक 1.6.88 तक शुद्ध वेतन + सकल पेंशन के योग पर तथा दिनांक 1.6.88 के बाद शुद्ध वेतन + शुद्ध पेंशन के योग पर यथा अनुमन्य भत्ते देय होगें।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना है कि पुर्नयोजन की अवधि में श्री काजिमी को सैनिक पेंशन की धनराशि पर मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त श्री काजिमी को सैनिक सेवा का लाभ एक बार अनुमन्य होगा, और उसके बाद सिविल पद के कर्मचारी माने जायेगें तथा उन्हें अन्य समकक्ष पद धारकों के समान ही [illegible] भत्तों का भुगतान किया जायगा।

ह0
मुशीर अहसन,
उप सचिव।

संख्या: एस0ई0-3286(1)/दस-95

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) निदेशक कोषागार कलेक्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
(3) निदेशक सैनिक कल्याण एव पुर्नवास अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ
(4) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (3 प्रतियों सहित)
(5) श्री के0एम0 काजिमी, विशेष कार्याधिकारी को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 10-3-95 के संदर्भ में।

आज्ञा से,
ह0/-
मुशीर अहसन
उप सचिव।

Request-84

संख्या सा-3-1272/दस -3-56

प्रेषक

श्री अदित्य भूषण पाण्डे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक: लखनऊ, 26 अगस्त, 1977।

विषय:--भूतपूर्व सैनिकों का सिविल पदों पर पुनर्योजन किये जाने की दशा में वेतन निर्धारण।

महोदय,

वित्त (सामान्य-3) अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के विभिन्न कार्यालयों में पुनर्योजित सेवा निवृत्त सैनिकों
के वेतन निर्धारण के मामले अब तक शासन के आदेश से भेजे जाते रहे है। इस प्रक्रिया में कुछ समय अवश्य
लग जाता है। जिससे पुनर्योजित सैनिको को वेतन प्राप्त करने में कठिनाई होती है तथा हर स्तर पर परिहार्य
कार्य भी बढ़ता है। निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण परिषद्, तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला सैनिक
परिषद् द्वारा उनके कार्यालयों में पुनर्योजित भूतपूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक प्रतिनिधायन
शासनादेश संख्या-101/48-76-सै0क0 दिनांक 8-6-1976 में किया जा चुका है। शासन ने अब यह निर्णय
लिया है कि आपके तथा आपके अधीनस्थ कार्यालयों में पुनर्योजित किये गये या किये जाने वाले सेवा निवृत्त सैनिक
कर्मचारियों का वेतन निर्धारण निम्न नीति के आधार पर आपके द्वारा ही किया जाएगा:--

(1) जहां पुनर्योजन उस पद पर हो जिसका कि वेतनमान उस पद से उच्चतर है जिससे कि सम्बन्धित
व्यक्ति सेवा निवृत्त हुआ था:--समस्त निवृत्तिक लाभ को शामिल करते हुए पुनर्योजन पर वेतन सेवागत
अवस्था के अन्तिम वेतन से एक प्रक्रम (Stage) ऊपर।

(2) जहां पुनर्योजन उस पद पर हो जिसका कि वेतनमान उस पद के समान हो जिस पद से सम्बन्धित
व्यक्ति सेवा निवृत्त हुआ हो पुनर्योजन पर वेतन उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित किया जायगा
केवल अन्तर यह होगा कि पुनर्योजन वेतन उसी प्रक्रम पर होगा जिस पर सम्बन्धित व्यक्ति
सेना सेवा काल के अन्त में वेतन पाता रहा हो। निवृत्तिक लाभों का समायोजन उसी प्रकार होगा
जैसा कि ऊपर मद संख्या (1) पर कहा गया है।

350-450
350-7-425
250-425

(3) जहां पुनर्योजन उस पद पर हो जिसका कि वेतनमान उस पद से कम हो जिस पद से
सम्बन्धित व्यक्ति सेवा से सेवा निवृत्त हुआ हो--सेवाकाल के अन्तिम वेतन या पुनर्योजन पद के वेतनमान
के उच्चतम, इनमें जो भी कम हो, उसके बराबर, समस्त निवृत्तिक लाभों को उसी प्रकार शामिल करते
हुये जैसा कि मद संख्या-1 पर वर्णित है।

(4) सारे निवृत्तिक लाभों में पेंशन, जैसे कि राशिकरण, यदि कोई हो, के पूर्व भी डेथ-कम
रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी या कान्ट्रीब्यूट्री प्रावीडेन्ट पेंशन फण्ड मे सरकारी अंशदान/दोनों में से जो भी
स्वीकृत हुआ हो, के बराबर मूल्य की पेंशन सम्मिलित है। उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर सिविल सर्विस
रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 526 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण होगा।

(2) पुनर्योजन पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को निर्धारित दर पर उतना महगाई भत्ता देय होगा
जो कि ऐसे कर्मचारी/अधिकारी को देय होता है जिसका कि वेतन पुनर्योजित व्यक्ति के पुनर्योजन वेतन और सकल पेंशन
के जोड़ के बराबर हो। इनको सेवा से पेन्शन पर देय मंहगाई भत्ता नहीं मिलेगा

(3) ये व्यक्ति अस्थायी कर्मचारी की तरह माने जायेंगे और इनको पुनर्योजन की अवधि में वार्षिक
वेतन वृद्धियां मिलती रहेगी।

(4) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिये, यदि अन्यथा अनुमन्य हो, गिनी जायेगी। अन्य सेवा शर्तें वही होंगी
जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होती है।

(5) यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नही होंगे जिनकी नियुक्ति संविदा (Contract) पर की
जायगी।

(6) कुल वेतन निर्धारण के सिद्धान्त मार्ग दर्शन के लिये संलग्न है।

मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप कृपया तदनुसार कार्यवाही करें और शासन के आदेशार्थ केवल वही मामले भेजें जो उपर्युक्त के अन्तर्गत न आते हों।

भवदीय,

आदित्य भूषण पाण्डे,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा–3–1272/दस––3-56, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :—

(1) प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) प्रतिलिपि, निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण परिषद्, लखनऊ।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

शिव शंकर लाल भटनागर,
अनु सचिव।

उदाहरण

(1) अगर पुनर्योजन पद का वेतनमान रुपये 350–15–500–20–600–25–700 है और उस पर पुनर्योजित होने वाले व्यक्ति का सेवागत अवस्था में अन्तिम पद का वेतनमान 200-400 है और वह 400 रुपया प्रतिमाह के वेतन से सेवा निवृत्त हुआ है और उसको सेवा से 100 रुपया प्रतिमाह एकल पेंशन मिलती है, और सेवा निवृत्त के समय उसकी आयु 51 वर्ष हो, पुनर्योजन पर इसका वेतन रुपया 410–100+50=रुपया 360 पर निर्धारित होगा।

(2) अगर पुनर्योजन पद का वेतन मान रुपया 350–700 है। और उसपर पुनर्योजित व्यक्ति का सेना में सेवागत अवस्था में इसी वेतन क्रम पर 700 रुपया प्रतिमाह वेतन था और उसे सेना से 150 रु० प्रतिमाह पेंशन मिलती थी और सेवा निवृत्त के समय उसकी अवस्था 51 वर्ष की थी, पुनर्योजन पर इस व्यक्ति का वेतन रुपया 700–150+50=600 प्रतिमाह होगा।

(3) अगर पुनर्योजन पद का वेतनमान रुपया 350–700 है और उस पर नियुक्त व्यक्ति का सेना से सेवागत अवस्था में 400–800 के वेतनमान में 800 रुपाया प्रतिमाह अन्तिम वेतन था और उसे सेना से रुपया 300 प्रतिमाह सकल पेंशन मिलती हो और सेवा निवृत्त के समय उसकी अवस्था 51 वर्ष की हो, तो उसे पुनर्योजन पर रुपया 700–300+50=450 प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

405
174
231

पी एस० यू० पी०––ए० पी० 128 सा० वित्त––8–12–77––2740––1977––8,000 (हि०)।

संख्या सा - 3 - 749/दस-91/80 (2) Request-84 (3)

प्रेषक,

जे0 एल0 बजाज,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 18 मई, 1983 ।

विषय: सैनिक पेंशनरों का सिविल पद पर पुनर्योजन किये जाने पर वेतन निर्धारण की सामान्य नीति- सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स का अनुच्छेद 526 ।

महोदय,

सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद 526, सपठित शासनादेश संख्या सा - 3 - 17-दस-3- 78, दिनांक 21 जनवरी, 1980 के अधीन यह प्राविधान है कि यदि कोई सैनिक कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेना से निवृत्त होता है और उसे सिविल पद पर पुनर्योजित किया जाता है तो उसका वेतन निर्धारित किये जाने में उसकी सैनिक पेंशन के प्रथम रू0 125 तक की धनराशि उपेक्षित कर दी जाती है । वेतन निर्धारण में उपेक्षित की जाने वाली पेंशन की उपर्युक्त सीमा में वृद्धि किये जाने का प्रश्न कुछ समय से शासन के विचाराधीन रहा है जिस पर भलीभांति विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश देने की कृपा की है कि सिविल पदों पर पुनर्योजित सैनिक पेंशनरों का वेतन निर्धारण करते समय सैनिक पेंशन की धनराशि निम्न प्रकार से उपेक्षित की जायेगी ।

(1) सैनिक अधिकारियों को सिविल पद पर पुनर्योजित किये जाने पर उनकी सैनिक पेंशन के प्रथम रू0 250

(2) कमीशन्ड अधिकारियों से नीचे की श्रेणी के सैनिक पेंशनरों को पूरी पेंशन ।

2- इन आदेशों के प्रयोजन हेतु पेंशन से तात्पर्य उनकी सकल पेंशन से है, जिसमें ग्रेच्युटी तथा अन्य पेंशनरी लाभों की पेंशन समतुल्य धनराशि सम्मिलित रहेगी ।

3- यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 1983 से प्रभावी समझे जायेंगे । जो व्यक्ति उक्त तिथि अर्थात दिनांक 1 अप्रैल, 1983 को सिविल पदों पर पुनर्योजित थे उनका वेतन इन आदेशों के आधार पर उक्त तिथि से पुनः निर्धारित किया जायेगा यदि वे इस संशोधन को वरण करने का विकल्प दें । इस प्रकार विकल्प को लेने पर उनका वेतन उसी रूप में इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा जैसे कि वे प्रथम बार उक्त तिथि अर्थात दिनांक 1 अप्रैल, 1983 को पुनर्योजित हुये हों । विकल्प इस आदेश के जारी होने की तिथि के 6 मास के भीतर लिखित रूप से करना होगा तथा एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।

4- सैनिक पेंशनरों के पुनर्योजन संबंधी शेष व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी

5- कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें ।

भवदीय,

जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव ।

Attested
Zila Sainik Kalyan & Punarvas Officer
AZAMGARH (U.P.)

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

Request-84

CIRCULAR MEMO BOD NO. 95 OF 1995

The Branch Managers
of all the branches
in Lucknow Circle.

Banking Operations Department,
Local Head Office,
Lucknow.

Dated : 16.08.1995

SCHEME FOR PAYMENT OF PENSION TO CENTRAL GOVT. CIVIL/RAILWAY/TELECOM PENSIONERS THROUGH PUBLIC SECTOR BANKS—JUDGEMENT OF THE SUPREME COURT WITH REGARD TO DEARNESS RELEIF ON PENSION/FAMILY PENSION DURING RE-EMPLOYMENT/EMPLOYMENT OF CENTRAL GOVT. PENSIONERS/FAMILY PENSIONERS

Please refer to our Circular BOD Memo No. 23 and 55 both of 1995 dated the 14th March and 5th May, 1995 respectiviely. In this connection, we enclose copies of Dept. of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi Office Memorandum No. 42/3/94-P&PW(G) dated the 14th March, 1995 and its enclosure i.e. the operative portion of the judgement dated 8th December, 1994 of the Supreme Court of India, received through Reserve Bank of India, Central Office, Bombay, the contents of which are self-explanatory.

2. Please arrange accordingly.

K. K. NARULA
GENERAL MANAGER (OPERATIONS)

Index Under :

S—Scheme for Payment of Pension to Central Govt. Civil / Railway / Telecom Pensioners through Public Sector Banks—Judgement of the Supreme Court with regard to Dearness Releif on Pension/Family Pension during Re-Employment / Employment of Central Govt. Pensioners/Family Pensioners.

No. 42/3/94-P & PW (G)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(Department of Pension & P.W.)

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan
Khan Market
New Delhi—110003

Dated, the 14th March, 1995.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:—Judgement of the Supreme Court with regard to Dearness Relief on Pension/family pension during re-employment / employment of Central Government pensioners/family pensioners.

The undersigned is directed to say that as per existing orders, dearness relief on pension/family pension remains suspended during the period a pensioner/family pensioner is re-employed/employed. Some Benches of CAT had given judgements against the above orders. A very large number of SLPs had been filed in the Supreme Court by various Ministries/Depatrments against such judgements.

The Supreme Court vide its judgement dated 8.12.1994 in Civil Appeal Nos. 3543-46 of 1990 has declared Government's decision to withhold dearness relief on pension/family pensions in cases of those ex-servicemen who got re-employment or whose dependents got-employment as legal and just. A copy of the operative portion of the Judgement is enclosed.

3. The same position holds good in respect of civilians re-employed/employed pensioners/family pensioners as the Hon'ble Court has upheld the provisions contained in Rule 55 A of CCS (Pension) Rules 1972 so far as civilian Government employees are concerned. All Ministries/Departments are requested to bring the operative part of the Judgement to the notice of attached/sub-ordinate offices under their administrative control.

4. Hindi version is enclosed.

Sd./—
(Sudha P. Rao)
Deputy Secretary to the Govt. of India

Supreme Court of India

Court No. 2

Request-84

Operative portion of judgement prounced on 8.12.1994 in Civil Appeal No. 3542-46/90.

Union of India & Others — Appalant

G. Vasudevan Pillai & Others — Respondent

Order

Hon'ble Mr. Justice Kuldip Singh

Hon'ble Mr. Justice B.L. Hansaria

Denial of Dearness Relief on pension/family pension in cases of those ex-servicemen who got re-employment or whose dependents got employment is legal and just. The decision to reduce enhanced pension from pay of those ex-servicemen who were halding civil post on 1.1.1986 following their re-employment is unconstitutional.

संख्या 42, 3/94-पी एण्ड पीडब्ल्यू.जी.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
नई दिल्ली 110 003

दिनांक : 14 मार्च 1995

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों के पुनर्नियोजन/नियोजन के दौरान पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पर मँहगाई राहत के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मौजूदा आदेशों के अनुसार पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी के पुनर्नियोजित होने की अवधि के दौरान पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पर मँहगाई राहत बन्द रहती है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कुछ पीठों ने उपर्युक्त आदेशों के विपरीत निर्णय दिए हैं। ऐसे निर्णयों के खिलाफ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने उच्चतम न्यायालय में बहुत अधिक संख्या में अपील करने की विशेष इजाजतें दायर की हैं।

2. उच्चतम न्यायालय ने 1990 की सिविल अपील सं० 3543-46, दिनांक 8-12-1994 के अपने निर्णय में कहा है कि उन भूतपूर्व पुनर्नियोजित सैनिकों या उनके पुनर्नियोजित आश्रितों के मामलों में पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पर मँहगाई राहत को रोक देने का सरकारी निर्णय वैध तथा विधिसंगत है। निर्णय के प्रभावी भाग की एक प्रति (मूल) इसके साथ संलग्न है।

3. जहाँ तक सिविल सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उपर्युक्त स्थिति सिविल पुनर्नियोजित/नियोजित पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों के सम्बन्ध में लागू होती है, जैसा कि माननीय न्यायालय ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 55 "ए" में निहित उपबन्धों का अनुमोदन किया है। सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध है कि वे निर्णय के प्रभावी भाग को उनके प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।

ह०/
(सुधा पी. राव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 16:26:54 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad